रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार सास-बहू और बच्चे की मौत

परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे परिवारजन

गंगापुर सिटी, (निसं)। बस की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में सास-बहू और एक मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक चला रहा परिवार का मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बस सहित बस ड्राइवर फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे गंगापुर सिटी-जयपुर हाइवे पर खूंटला और बाढ़ कलां के बीच हुआ। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गंगापुर सिटी सदर थाने के हैड कॉन्स्टेबल प्यारे लाल ने बताया कि गंगापुर सिटी काजी कॉलोनी निवासी साजिद (25) पुत्र फखरुद्दीन अपने परिवार के साथ डाबर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसकी बाइक पर साजिद के साथ पत्नी नरगिस (22), बेटा अलमीर (1) और मां बानो (60) सवार थी। शहर से थोड़ी दूर निकलते ही गंगापुर सिटी-जयपुर हाइवे पर खूंटला और बाढ़ कलां के बीच दोपहर करीब 1.30 बजे एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।

मृतकों की फाइल फोटो।

- **हादसे के बाद बस सहित मौके से फरार हुए बस ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करवाई**

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से सभी मृतकों और घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद नरगिस, उनकी सास बानो और मासूम अलमीर को मृत घोषित कर दिया। बाइक चला रहा साजिद गंभीर रूप से घायल है और उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। साजिद मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों के शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए। हादसे के बाद बस सहित मौके से फरार हुए बस ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है।

सीकर : बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी, दो चचेरे भाइयों की मौत

सीकर, (निसं)। सीकर में तेज रफ्तार बोलेरो ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बोलेरो के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। इसके बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने दोनों शवों एसके हॉस्पिटल की मॉच्यूरी में रखवाया। दो महीने बाद युवकों की बहन की शादी है।

- **टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बोलेरो के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई**

घटना सीकर-उदयपुरवाटी रोड पर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर भैरुजी स्टैंड के पास सोमवार सुबह 11 बजे की है। हादसे में पुरोहित का बास, लक्खीपुरा निवासी रामचंद्र गोस्वामी (39) और मुकेश गोस्वामी (30) की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पुरोहित का बास, लक्खीपुरा निवासी रमेश और मुकेश गोस्वामी आरसीसी ढलाई का काम करते हैं। सुबह दोनों काम के सिलसिले में बाइक से सीकर शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उदयपुरवाटी की ओर आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक बोलेरो के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। टक्कर के बाद सड़क पर किनारे गिरे दोनों भाइयों की मौत हो गई।

हादसे में रेलवे कर्मी की मौत

लूणकरणसर, (निसं)। नाथवाना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दौसा जिले के लालसोट निवासी दिनेश मीणा के रूप में हुई है, जो रेलवे में प्वाइंटमैन के पद पर कार्यरत था। हादसा शाम 7:30 बजे हुआ, जब दिनेश मीणा बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। शव को लूणकरणसर के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दिनेश मीणा की शादी 26 अप्रैल को होनी थी।

अलवर में शराब पीकर एसआई भर्ती परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी

कर्मचारियों ने एक बार तो अभ्यर्थी को सेंटर के अंदर एंट्री भी दे दी, फिर नशे की पुष्टि होने पर बाहर निकाला

अलवर, (निसं)। एसआई भर्ती परीक्षा सोमवार को दूसरे दिन भी आयोजित हुई। पहली पारी के एग्जाम में अलवर के एक एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी शराब के नशे में परीक्षा देने पहुंचा। कर्मचारियों ने एक बार तो उसे सेंटर के अंदर एंट्री भी दे दी। फिर नशे में होने की पुष्टि होने पर उसे बाहर निकाला गया। वहीं कई सेंटर पर कैंडिडेट्स देरी से पहुंचे, जिससे उनका पेपर छूट गया।

जानकारी के अनुसार अलवर जिले में दूसरे दिन करीब 17 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। इसके लिए जिलेभर में 64 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं प्रशासन की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की गई।

चेंकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। एसआई भर्ती परीक्षा का शहर के जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मनी का बड़ केंद्र पर भी सेंटर आया है। लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जितेंद्र कुमार भी सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचा था। शुरुआत में कर्मचारियों ने उसे अंदर प्रवेश दे दिया, लेकिन बाद में उसके नशे में होना सामने आया। इसके बाद उसे सेंटर से बाहर किया गया। वह करीब 20 मिनट तक सेंटर के बाहर भी बैठा रहा।

दो सूने घरों से जेवर-नगदी पार

जोधपुर, (कासं)। शहर में नकबजनों ने दो सूने मकानों में सैंध लगाकर लाखों के जेवरात और नगदी चुरा ली। संबंधित थानों में चोरी की रिपोर्ट दी गई। फिलहाल चोरों का पता नहीं लगा है।

राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि शिक्षक कॉलोनी में एक बार फिर चोरों ने बंद मकान में सैंध लगाई। गली नंबर 4 निवासी प्रताप सिंह पुत्र महेंद्र सिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि अज्ञात चोर उनके सूने मकान के ताले तोड़कर अंदर घुस गए और वहां से करीब 5 तोला वजनी सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। वहीं जय भवानी नगर, सांगरिया फांटा क्षेत्र में रहने वाले दशरथ सिंह पुत्र उम्मेद सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस्कॉन मंदिर के सामने, मैन सालावास रोड स्थित उनके मकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर वहां से सोने-चांदी के जेवरात, नकदी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए।

राजस्थान सरकार
कार्यालय-सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर
सिटी जुबली हॉल के पास, नगर परिषद रोड, धौलपुर
Mail: dholpur.we@rajasthan.gov.in, Ph.: 05642-223349

क्रमाक / मअवि/ एसएससके/2025-26/3013 विज्ञप्ति दिनांक:- 31/03/2026

जिलें में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र सर्किल पुलिस थाना बाडी, सरमथुरा, सैपऊ, मनियां एवं धौलपुर के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना संशोधित-2024 एवं आयुक्त महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 13.02.2025 के नियम 6 व 7 के अन्तर्गत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के संचालन हेतु वर्णित पात्रताधारी गैर-शासकीय संस्थाओं से एतद्धारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.04.2026 समय सायः 5.00 बजे तक जिले के सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग सिटी जुबली हॉल के पास, धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है जिसका प्रारूप, पात्रता की शर्ते तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

(भूपेश गर्ग)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
धौलपुर (राज०)

DIPR/C/6465/2026

Office of The
Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

No.- 1165 -:: Notice of Inviting Bid ::- Date-30.03.2026

Bid for Work tenders, Rate Contract of Construction Material Supply & Office Tenders (Offline Tender) and Haddi Theka of various work as below are invited from interested bidders under various Gram Panchayats & Panchayat samiti sayla as below. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and notice board of this office.

Name of Gram Panchayat	UBIN	Estimate Bid Cost
Panchayat Samiti Sayla Haddi Theka 2026-27	ZJR2526GSOB01446	01.25 Lakh
GP Bairath, Material RC	ZJR2526GLRC01443	80.00 Lakh
GP Bakra, Material RC	ZJR2526GLRC01442	80.00 Lakh
GP Ummedabad, Matrial RC	ZJR2526GLRC01444	80.00 Lakh
GP Sanfada, Matrial RC	ZJR2526GLRC01441	100.00 Lakh
GP Bairath Work Tender	ZJR2526WSOB01445	10.00 Lakh
Office Tenders (Food Arrangements, Photo Copy, Computer/Printer Repair, Tent Arrangements, Stationery, Tea-coffee Arrangements, Men Power, Vehicle Etc)	ZJR2526SSRC01447 to 1454	Each Work is Under Below 10 Lakh.

BDO Cum Program Officer (EGS)
Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

DIPR/C/6402/2026

अधिकारी विभागीय कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करें : नमित मेहता

उदयपुर, (कासं। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपेक्षा के अनुरूप विभागीय कार्यों का समयबद्ध सीमा में समन्वय से निस्तारण किया जाना चाहिए। राजकीय दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। विभागीय लक्ष्य व कार्य अनुशासन सहित टीम भावना से पूर्ण किए जाने चाहिए। आयुक्त नमित मेहता सोमवार को आबकारी मुख्यालय उदयपुर के सभागार में विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

- **'राजकीय दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए'**

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने उदयपुर के सभागार में विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों की बैठक लेकर निर्देश दिये।

आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार के रेवेन्यू में आबकारी विभाग का अहम स्थान है अतः वित्तिय लक्ष्यों की पूर्ति सहित समस्त आवश्यक कार्यों को समयावधि में पूर्ण किया जाना चाहिए। बैठक में विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने अपना परिचय देते हुए प्रदत्त दायित्व एवं कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर बंदोबस्त, आईटी, अभियोग, ईपीएफ, सामान्य प्रशासन, संस्थापन, लीगल, होलोग्राम, कंट्रोल रूम, आरटीआई, लेब, लेखा, एपीएआर, पॉलिसी सहित विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों ने संबंधित कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आवश्यकताओं से अवगत कराया। आबकारी आयुक्त मेहता ने समस्त अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश देते हुए आवश्यक सुझाव भी आमंत्रित किए, जिससे राजकीय कार्यों के निस्तारण में समयबद्धता बनी रहे। इस मौके पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत, वित्तिय सलाहकार सुनिता विजय, उपायुक्त ईपीएफ प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत सहित विभिन्न अनुभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।

पांच हजार का इनामी अपराधी नाना तेली गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। पुर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने दो साल से फरार चल रहे 5 हजार रुपये के इनामी अपराधी और माण्डल थाने के हिस्ट्रीशीटर नाना तेली उर्फ राजू तेली को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी नाना तेली (35) निवासी नीम का खेड़ा, माण्डल बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस के अनुसार उस पर धोखाधड़ी, चेक अनादरण, कूटकरण, जाली दस्तावेजों से वाहन चलाने और चोरी के वाहन खरीदने-बेचने के कुल 41 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी भीलवाड़ा के अलावा डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी वांछित था। कई जिलों की अदालतों से इसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी हो चुके थे।

- **आरोपी पर धोखाधड़ी, चेक अनादरण, जाली दस्तावेजों से वाहन चलाने और चोरी के वाहन खरीदने-बेचने के 41 प्रकरण दर्ज हैं**
- **भीलवाड़ा के अलावा डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी वांछित था आरोपी**

जानकारी के अनुसार मामले की शुरुआत 20 नवंबर 2024 को हुई, जब उदयपुर निवासी चंद्रप्रकाश कुमावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका टाइल्स से भरा ट्रक भीलवाड़ा बायपास से गायब हो गया है। अनुसंधान में सामने आया कि ड्राइवर और खलासी ने मिलीभगत कर लूट की झूठी कहानी रची थी। इस प्रकरण में चोरी का माल खुर्द-बुर्द करने और खरीदने के मामले में नाना तेली की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुर थानाधिकारी कन्हैया लाल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहयोग और मानवीय आसूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की उम्मीद है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/05
दिनांक-06.04.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.4 (1) वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार वर्ष 2026-27 हेतु पड़त मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	09-04-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड़ राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष कमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।

आबकारी आयुक्त, उदयपुर

तांत्रिक क्रिया करते दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना इलाके के धाकड़खेड़ी गांव में स्थित मुक्तिधाम में रविवार रात्रि को तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है, पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर दो लोगों शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया है। उद्योग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि धाकड़खेड़ी गांव में स्थित मुक्तिधाम में दो लोगों के तांत्रिक क्रिया करने की सूचना मिली थी, सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां दो युवक दरी बिछाकर कुछ धार्मिक गतिविधियां करते हुए नजर आये, मौके पर कुछ शराब की बोतलें भी मिली है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में धाकड़खेड़ी निवासी निशांत प्रजापति और जीतू सुमन को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में सामने आया कि दोनों युवक श्मशान के नजदीक भैरुजी का स्थान है, वह वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे।

पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली पिचनौत में रविवार शाम एक पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पति शाम करीब छह बजे बकरी चराकर घर लौटा तो पत्नी चारपाई पर सो रही थी। आते ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और गर्दन व हाथ पैर काट दिए। मौके पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया।

- **पति शाम करीब छह बजे बकरी चराकर घर लौटा तो पत्नी चारपाई पर सो रही थी, आते ही पति ने कुल्हाड़ी उठाई व पत्नी की गर्दन व हाथ पैर काट दिए**
- **कालूराम ने करीब 15 साल पहले अपने पांच साल के बच्चे का भी इसी तरह मर्डर कर दिया था, लेकिन उस समय पुलिस कंप्लेन नहीं की गई थी**

पुलिस ने बताया कि कालूराम मीणा रविवार शाम करीब छह बजे बकरियां चराकर घर लौटा था। उस समय उसकी 48 वर्षीय पत्नी पुनी देवी गहरी नींद में सो रही थी। घर लौटते ही कालूराम (52) ने बिना किसी कारण या कहासुनी के पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और पुनी देवी की गर्दन और हाथों पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गर्दन पर गहरे घाव होने के बाद पुनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मालाखेड़ा थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतका के भाई धनपाल मीणा निवासी दुब्बी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति कालूराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि पड़ोसियों ने बताया कि कालूराम ने करीब 15 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे का भी इसी तरह मर्डर कर दिया था, लेकिन उस वक्त पुलिस कंप्लेन नहीं की गई थी। आरोपी कालूराम के घर में पति-पत्नी और एक 25 साल का अविवाहित बेटा शेरू रहता है। वह मजदूरी करता है। घटना के वक्त वह मजदूरी पर गया हुआ था।

युवती का पांच माह से यौन शोषण, मामला दर्ज

जोधपुर, (कासं)। जिला पूर्व में एक युवती को शादी का झांसा देकर पांच छह माह तक यौन शोषण किये जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दी है। इसमें आरोप है कि उसकी जाति के युवक से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। बाद में वह उससे मिलने लगा। काफी जगहों पर घुमाया और शादी का झांसा देकर एक बार दुष्कर्म किया। उसके बाद भी पिछले उसका यौन शोषण करता रहा और अब शादी से मुकर गया। पीड़िता की तरफ से पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच आरंभ की है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय-सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर
सिटी जुबली हॉल के पास, नगर परिषद रोड, धौलपुर
Mail: dholpur.we@rajasthan.gov.in, Ph.: 05642-223349

खुली बोली आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय के लिए वन स्टॉप सेन्टर योजना अन्तर्गत महिला केन्द्र प्रबंधक, महिला परामर्शदाता, आई.टी वर्कर, सहायिका एवं सुरक्षा गार्ड के पदो के लिए अस्थाई आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विनिर्दिष्ठ संवेदक / संस्थाओं से दिनांक 14.04.2026 को साय 3:00 बजे तक ई निविदा आंमत्रित की जाती है एवं ई निविदा की अनुमानित लागत 23.40 लाख है। बोली आमत्रंण सूचना/निविदा प्रपत्र मय शर्ते व आवश्यक दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में/http://sppp.raj.nic.in एवं http://wcd.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in. पर देखी जा सकती है।

UBN NO-WMP2526SLOB00285
NIB NO- WMP2526A0254

(भूपेश गर्ग)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
धौलपुर (राज०)

DIPR/C/6433/2026

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर
स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर
फोन 0151-2201142, Email-eemhbikaner@ymail.com

क्रमांक:- EE/M&H/BKN/2025-26/4032 दिनांक:- 27.03.2026

ई- टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या:- 72/2025-26

निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर में कुल रू. 158.94 लाख के 03 उप स्वास्थ्य के न्द्र के कार्य हेतु निविदा में बताये अनुसार श्रेणी के संवेदको के समकक्ष उपर्युक्त सिविल श्रेणी मे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग /रेल्वे / एमईएस इत्यादि मे पंजीकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त सिविल श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती है। अल्पकालीन निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेबसाईट www.dipronline.org http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

S.No.	UBN No.
1	NRH2526WSOB02924
2	NRH2526WSOB02925
3	NRH2526WSOB02926

(शिम्भू राम जाटव)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
बीकानेर

DIPR/C/6436/2026

यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, करीब दो दर्जन लोग घायल

करौली, (निसं)। कैलादेवीजी के दर्शन कर वापस लौट रहे यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से ट्रैक्टर-ट्राली में सवार करीब दो दर्जन महिला, पुरुष और बालक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों को करौली के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया जहां सात यात्रियों की गंभीर हालत होने पर जयपुर रैफर किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के सरमथुरा के निकटवर्ती महारपुरा गांव के एक ही परिवार के करीब तीन दर्जन से अधिक लो ट्रैक्टर-ट्रॉली से सोमवार को प्रातः मां कैलादेवी जी के दर्शन करने पहुंचे, जहां मां केलादेवी जी के दर्शन लाभ लेकर वापस घर लौट रहे थे। करौली सरमथुरा सड़क मार्ग के बीच खेड़ा मंडीली के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने से पलट जाने से अधिकांश यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर सूचना पर मासलपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों रिया विधि गौरी सरोज बुलबुल ऋतिक गुड्डी श्यामवीर रितु सलोनी कायल मुन्नी रश्मि सीता कौ को उपचार के लिए करौली सामान्य चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार किया।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राजकीय जनाना चिकित्सालय परिसर, मोरी चार बाग भरतपुर 321 001 (राज0)
Mail: eemhbharatpur@gmail.com, Web: ee-mh-bharatpur@gov.in, Mob. 9602097030

क्रमाक/M&H/2025-26/2278 निविदा सूचना संख्या: 30/2025-26 दिनांक: 27.03.2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जिला भरतपुर/डीग/करौली में रू. 260.00 लाख के निर्माण कार्य हेतु राजस्थान सरकार के समकक्ष उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में सिविल कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

	Work Name	अनुमा नित लागत (रू. लाखों में)	UBN No.		Work Name	अनुमा नित लागत (रू. लाखों में)	UBN No.
1	Construction of SHC building Kumha distt Bharatpur	52. 00	UBN is: MHS2526WSOB07884	2	Construction of SHC building Alooda distt Karauli	52. 00	UBN is: MHS2526WSOB07885
3	Construction of SHC building Andhiyakheda distt Karauli	52. 00	UBN is: MHS2526WSOB07886	4	Construction of SHC building Arora distt Karauli	52. 00	UBN is: MHS2526WSOB07887
5	Construction of SHC building Bardala distt Karauli	52. 00	UBN is: MHS2526WSOB07888				

(एल०के० अग्रवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भरतपुर

DIPR/C/6386/2026